

IB में नए SDG...UNGA में करेक्ट द मैप प्रस्ताव पास

1. 1995 बैच के बिहार कैडर के IPS अधिकारी जगमोहन इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के स्पेशल डायरेक्टर बने। वे अभी एडिशनल डायरेक्टर हैं। नियुक्ति 30 जून 2031 तक रहेगी। IB देश की प्रमुख आंतरिक सुरक्षा एजेंसी है, जो आतंकवाद, जासूसी और आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी सूचनाएं जुटाती है। इन्हीं के आधार पर सरकार सुरक्षा से जुड़े फैसले लेती है।

2. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जून से 31 अगस्त तक चले अभियान में 3,800 से ज्यादा बच्चों को बाल मजदूरी और मानव तस्करी से मुक्त कराया गया। इसमें 575 से ज्यादा FIR दर्ज हुईं। पुलिस, जिला प्रशासन और राज्य सरकारों के साथ कार्रवाई की गई। बच्चों को स्कूल से जोड़ने, सुरक्षित माहौल देने और पुनर्वास पर भी जोर दिया गया है।

3. संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 164 देशों के समर्थन से 'करेक्ट द मैप' प्रस्ताव मंजूर किया। इसका मकसद नक्शों में महाद्वीपों का आकार ज्यादा सही दिखाना है। मॉरocco प्रोजेक्शन में अफ्रीका छोटा और ध्रुवों के पास के इलाके बड़े दिखते हैं। पृथ्वी गोल होने के कारण उसे सपाट नक्शों पर दिखाने में आकार बिगड़ता है।

• विदेश नीति
4. विदेश मंत्री एस. जयशंकर 26 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 81वें सत्र को संबोधित करेंगे। उच्च स्तरीय सत्र 8 सितंबर से शुरू होगा। इसमें युद्ध, भू-राजनीतिक तनाव, खाद्य-ईंधन सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे उठेंगे। UNGA में हर देश को एक वोट मिलता है।

• जलवायु परिवर्तन
5. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तापमान जल्द 1.5°C की सीमा पार कर सकता है। यह औद्योगिक दौर से पहले के औसत तापमान की तुलना में है। बाद में तापमान घटाय़ा जा सकता है। UNEP ने इसे ओवरस्ट्रेट, पीक और डिक्लाइन रास्ता बताया है।

नॉलेज टेस्ट

Q1. 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किस कांग्रेस अधिवेशन में 'पूर्ण स्वराज्य' का प्रस्ताव पास हुआ था?

[A] कराची सत्र [B] लाहौर सत्र

[C] कलकत्ता सत्र [D] बंबई सत्र

Q2. चीन में भगवान बुद्ध की यह तांबे की प्रतिमा 128 मीटर ऊंची और 1,000 टन वजनी है। इस प्रतिमा का नाम क्या है?

[A] लोंगमेन बुद्ध प्रतिमा [B] स्प्रिंग टेंपल बुद्ध

[C] लेशान ग्रैंड बुद्ध [D] गुआनयिन ऑफ नानशान

2024.09.26 12:00 PM

दैनिक भास्कर

दिमाग लगाओ

इनाम पाओ

250 इनाम हर रोज

क्विज 03 के 250 विजेताओं के नाम देखने के लिए QR स्कैन करें।

बेड शीट

उपायुक्त का कार्यालय, हजारीबाग (विधि शाखा)

हजारीबाग, दिनांक 02.09.2026

नोटिस बनाम—

1. सभी संबंधित विपक्षीय। 2. सभी संबंधित अधिकारी।

बजारीयें इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि उपायुक्त के न्यायालय, हजारीबाग में लंबित संदेहात्मक जमाबंदी मामलों को अंतिम रूप से निस्तारित करने हेतु निर्देश प्राप्त है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में संदेहात्मक जमाबंदी से संबंधित मामलों की सुनवाई दिनांक 16.10.2026 को 03:00 बजे अपा0 उपायुक्त महोदय के न्यायालय कक्ष में तय की गई है जिसमें आपको स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से निश्चित रूप से उपस्थित होकर पक्ष रखने हेतु अंतिम अवसर दिया गया है। मामलों की सूची निम्नवत है:—

क्र.0	संदेहात्मक जमाबंदी संख्या	प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष	मौजा	खाता	प्लॉट	रकबा	अंचल	निर्धारित तिथि
1	संदेहात्मक जमाबंदी वाद सं०— 70/2018-19	State	Ranglal Singh/ Jhagar singh	ऊर्दकैला	94/187	—	2.81 ए0	सदर	16.10.2026
2	संदेहात्मक जमाबंदी वाद सं०— 76/2018-19	State	Ramcharan Mistri/ Mohan Sahu	कोरा	248	—	0.38 ए0	सदर	16.10.2026
3	संदेहात्मक जमाबंदी वाद सं०— 03/2017-18	State	Madan Manjhi/ Damo Manjhi	बसरिया	16/21	—	0.82 ए0	डांडी	16.10.2026
4	संदेहात्मक जमाबंदी वाद सं०— 04/2017-18	State	Somara Manjhi/ Balma Manjhi	बसरिया	16/20	—	0.68 ए0	डांडी	16.10.2026
5	संदेहात्मक जमाबंदी वाद सं०— 06/2017-18	State	Jhodhar Manjhi/ Jowra Manjhi	बसरिया	16/19	—	1.18 ए0	डांडी	16.10.2026
6	संदेहात्मक जमाबंदी वाद सं०— 06/2017-18	State	Nankha Manjhi/ Sighram Manjhi	बसरिया	16/26	—	0.10 ए0	डांडी	16.10.2026
7	संदेहात्मक जमाबंदी वाद सं०— 21/2018	State	Ramla Mahto/ Jhaman Mahto	बुसारेन	1/480	—	8.70 ए0	ईयाक	16.10.2026
8	संदेहात्मक जमाबंदी वाद सं०— 12/2022-23	State	Peman Mahto/ Chaman Mahto	अलीजोखला	94	—	22.50 ए0	ईयाक	16.10.2026
9	संदेहात्मक जमाबंदी वाद सं०— 13/2022-23	State	Kishori Mahto & Ors/ Loknath Mahto	अलीजोखुर्द	79	—	2.90 ए0	ईयाक	16.10.2026
10	संदेहात्मक जमाबंदी वाद सं०— 19/2008-09	State	Sher Khan/ Isaak Khan	बेन्धी	204	5289	6.00 ए0	बर्ही	16.10.2026
11	संदेहात्मक जमाबंदी वाद सं०— 19/2018-19	State	Gendwa Badhyi/ Churaman Badhyi	उच्छाबेड़ा	01	—	1.51 ए0	दारु	16.10.2026
12	संदेहात्मक जमाबंदी वाद सं०— 04/2016-17	State	Narsingh Sahu/ Prayag Sahu	खपरियावा	271/1542	—	1.13 ए0	कटकमदाग	16.10.2026
13	संदेहात्मक जमाबंदी वाद सं०— 32/2018-19	State	Mangal Mahto/ Teko Mahto	बनवार	74/26	—	5.36 ए0	दारु	16.10.2026
14	संदेहात्मक जमाबंदी वाद सं०— 22/2020-21	State	Ahmad Khan/ Kayam Khan	बीबीखुर्द	31	35, 281, 282	1.25 ए0	धुरधू	16.10.2026
15	संदेहात्मक जमाबंदी वाद सं०— 21/2020-21	State	Tahid Khan/ Asgar Khan	बीबीखुर्द	31	80, 282	2.00 ए0	धुरधू	16.10.2026
16	संदेहात्मक जमाबंदी वाद सं०— 33/2016	State	Ludhu Manjhi/ Manjhu Majhi	रीकवा	67/10	733, 113	5.62 ½ ए0	डांडी	16.10.2026
17	संदेहात्मक जमाबंदी वाद सं०— 05/2016	State	Bhakur Manjhi/ Budha Manjhi	रीकवा	67/26	113, 173	15.50 ए0	डांडी	16.10.2026
18	संदेहात्मक जमाबंदी वाद सं०— 01/2022-23	State	Degni Devi/ Dhanu Mahto	देवकुली	165	3068	1.00 ए0	सदर	16.10.2026
19	संदेहात्मक जमाबंदी वाद सं०— 01/2015-16	State	Mos. Muniaji/ Sahab Mahto	कोरा	93	—	1.00 ए0	सदर	16.10.2026
20	संदेहात्मक जमाबंदी वाद सं०— 16/2018-19	State	Ramlal Mahto/ Nanhak Mahto	गुडुवा	2/95	—	3.40 ए0	सदर	16.10.2026
21	संदेहात्मक जमाबंदी वाद सं०— 06/2016-17	State	Badku Manjhi/ Pandey Majhi	रीकवा	67/25	3, 73	1.85 ए0	डांडी	16.10.2026
22	संदेहात्मक जमाबंदी वाद सं०— 03/2018-19	State	Teko Nayak/ Tej Nayak	बेडोका	89	589	0.49 ए0	बरकट्टा	16.10.2026

अतः निदेशानुसार सभी संबंधित प्रतिवादीगण एवं सभी संबंधित अधिवक्ता उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर न्यायालय के सम्म निश्चित रूप से उपस्थित होकर अपने-अपने मामलों में पक्ष रखना सुनिश्चित करेंगे। यदि कोई भी पक्ष या उनके अधिवक्ता निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होने में विफल रहते हैं, तो न्यायालय के पास उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर मामले का एकपक्षीय सुनवाई कर आदेश पारित कर दिया जायेगा।

नोटिस न्यायालय के मुखर से जारी किया गया।

PR 389119 Law (26-27)_D

प्रमारी पदाधिकारी, विधि शाखा, हजारीबाग

भास्कर एक्सक्लूसिव | जेयूटी : कोर्स वार बदल रहा दीक्षांत शुल्क किसी विवि में 500 तो किसी में 6000 रु. कन्वोकेशन फीस

एजुकेशनरिपोर्टर | रांची

डिग्री मिलने का गौरव छात्रों के लिए खास पल होता है, लेकिन इस बार राजधानी रांची स्थित दो विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में लिए जा रहे शुल्क को लेकर सुर्खियों में हैं। झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में दीक्षांत शुल्क पाठ्यक्रम के अनुसार तीन हजार रुपए से छह हजार तक है, जबकि रक्षा शक्ति विवि में 2100 रुपए शुल्क लिए जा रहे हैं। इसका छात्र आजसू द्वारा पिछले कई दिनों से विरोध किया जा रहा है। बताते चलें कि जेयूटी के दीक्षांत समारोह के लिए स्नातक विद्यार्थियों से 3000, एमटेक, एमबीए और एमसीए के विद्यार्थियों से 4000 तथा पीएचडी विद्यार्थियों से 6000 रुपए शुल्क लिए जा रहे हैं, जिसमें डिग्री शुल्क शामिल है। वहीं एमबीए में दीक्षांत शुल्क सिर्फ 500 रुपए, जबकि डीएसपीएमयू में 800 रुपए शुल्क लिए जा रहे हैं।

रक्षा शक्ति विवि : शुल्क का हो रहा विरोध
झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में 2100 शुल्क तय किए जाने पर विद्यार्थी सवाल उठा रहे हैं। छात्र आजसू के प्रदेश अध्यक्ष बबलू महतो समेत अन्य का कहना है कि दीक्षांत शुल्क उन छात्रों से भी लिया जा रहा है, जो इसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं। जेयूटी यूनिवर्सिटी प्रशासन रक्षा शक्ति विवि को वैसे छात्रों को इस शुल्क से मुक्त रखना चाहिए, जो इसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं। रक्षा विवि में दीक्षांत समारोह 5 अक्टूबर को होना है।

दीक्षांत तिथि	शुल्क
9 सितंबर	500 रुपए
24 सितंबर	800 रुपए
28 सितंबर	3-6 हजार
5 अक्टूबर	2100 रु.

छात्रों के पास सिर्फ डिग्री शुल्क का भी विकल्प
दीक्षांत में शामिल होनेवालों छात्रों से ही 2100 रुपए शुल्क लिए जा रहे हैं, जिसमें 800 रुपए डिग्री शुल्क और सिर्फ 1300 रुपए दीक्षांत समारोह के लिए शुल्क है। समारोह में शामिल नहीं होने वाले विद्यार्थी केवल 800 रुपए देकर डिग्री ले सकते हैं। डॉ हेमंत भगत, रजिस्ट्रार, रक्षा शक्ति विवि

शिक्षक दिवस पर वित्त रहित शिक्षकों का धरना-प्रदर्शन



रांची | देश समेत राजधानी रांची के विभिन्न संस्थानों में शनिवार को शिक्षक सम्मान पा रहे थे, उसी दिन वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के हजारों वित्त रहित शिक्षक और कर्मचारी अपने हक के लिए आंदोलन पर थे। वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले राज्य के सभी 1250 वित्त रहित संस्थानों में धरना-प्रदर्शन हुआ, जिसमें स्टूडेंट्स भी शामिल हुए। मोर्चा के रघुनाथ सिंह ने बताया कि 5 सितंबर को लोक भवन के सामने धरना देने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन जिला प्रशासन से तीन बार आग्रह के बावजूद अनुमति नहीं मिली। इन संस्थानों में शिक्षकों के समर्थन में अब छात्र भी सड़क पर उतरेंगे। मोर्चा के अध्यक्ष मंडल की बैठक 12 सितंबर को रांची में होगी, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। रघुनाथ सिंह, हरिहर प्रसाद कुशावाहा, फजलुल कादरी अहमद, चंदेसर पाठक, गणेश महतो, मनीष कुमार, डॉ. देवनाथ सिंह, मनोज तिवी, नरोत्तम सिंह, संजय कुमार, विनय उरांव ने बताया कि प्रमुख मांगों में 75% अनुदान वृद्धि, कर्मचारी का दर्जा देने, इंटर कॉलेज, उच्च विद्यालय, संस्कृत विद्यालय और मदरसे के शिक्षक-कर्मचारियों के लिए सेवा शर्त नियमावली बनाने समेत अन्य मांगें शामिल हैं।

JHARKHAND STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED (JSF&CSCL)
(A Government of Jharkhand Undertaking)
JSFC Bhawan, Kadru Main Road, Ranchi - 834002
NOTICE FOR ENGAGEMENT
Ref. No.: 2959 Date: 05-09-2026
Jharkhand State Food & Civil Supplies Corporation Limited (JSF&CSCL) invites from eligible retired officials of the Food Corporation of India (FCI) belonging to the Accounts Cadre for engagement as Deputy General Manager (Finance) on a purely contractual. Candidate qualifying as per the eligibility criteria are encouraged to participate in the selection process.
Detailed advertisement, eligibility criteria, remuneration, terms & conditions and online application form are available on <https://www.jharkhand.gov.in/info> under the "Recruitments" section. JSF&CSCL reserves the right to modify/cancel the engagement process without assigning any reason.
Sd/- Managing Director JSF&CSCL

SUMMON
(See Rule 83 of the Second Schedule as referred to in Section 29 of the Recovery Of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993)
COURT OF THE RECOVERY OFFICER
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL
(Government of India, Ministry of Finance)
5th Floor Pragati Sadan, RRDA Building, Kutchery Chowk, Ranchi - 834001 (Jharkhand)
To,
(1) Suman Devi,
W/o Sri Rajesh Kumar, R/o Lower Hatia, Mahavir Chowk, Ranchi, P.O. Hatia, District - Ranchi - 834003.
Whereas your attendance is required in the Recovery proceedings No. 107 of 2017 arising out of O.A. Case No. 338 of 2016 in the Bank of Baroda, Harmu Branch, Ranchi Vs. Suman Devi
You are hereby required to appear personally before this Court on 11.12.2026 at 11:30 A.M. for disclosing the detail or your personal property & explain on affidavit how you will liquidate the certificate dues. If you fail to comply without any lawful ground you will be subject to the consequences of non-attendance as per Rule 83 of the Second Schedule as referred to in Section 29 of the Recovery of Debts Due to Banks & Financial Act, 1993.
Given under my hand and seal at Ranchi on the 27th July 2026.
RECOVERY OFFICER I

डीएसपीएमयू: प्रवाह पहल के तहत विशेष व्याख्यान



रांची | डॉ. रथामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के मानव विज्ञान विभाग और आईएसपीएमयू के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को 'प्रवाह' पहल के तहत विशेष व्याख्यान हुआ। गोपेनगर्ग विश्वविद्यालय, स्वीडन की पराशर ने 'ज्ञान उत्पादन में शोध नैतिकता की भूमिका' विषय पर व्याख्यान दिया। कुलपति प्रो. राजीव मनोहर ने कहा कि एम्बेडी-2020 के तहत शोध की गुणवत्ता और वैश्विक मानकों पर फोकस अधिक है। 'प्रवाह' ज्ञान के स्थानीय से वैश्विक स्तर तक प्रवाह और संवाद की पहल है। संयोजक डॉ. अभय सागर मीन ने शोधार्थियों को नवाचार अपनाने और अपने शोध क्षेत्र के लोगों से जुड़कर उनकी बात सुनने से रखने की सीख दी। प्रो. पराशर ने कहा कि शोध नैतिकता सिर्फ साहित्यिक चोरी की जांच या सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर तक सीमित नहीं है। एचओडी डॉ एसएम अब्बास ने भी विचार रखा।

क्लिनिकल रिसर्च को-ऑर्डिनेटर पद पर 1 का चयन

रांची | रिसर्च में क्लिनिकल रिसर्च को-ऑर्डिनेटर के पद के लिए आयोजित वॉक इन इंटरव्यू का परिणाम जारी कर दिया गया है। यह नियुक्ति बीट-आईसीएच इंडिया परियोजना के तहत की जानी है। परियोजना का उद्देश्य मस्तिष्क में खतसाव वाले मरीजों में एंटी-लेटलेट थेरेपी के जरिए हृदय संबंधी घटनाओं के बोझ को कम करना है। श्रेया जायसवाल को क्लिनिकल रिसर्च को-ऑर्डिनेटर पद के लिए चुना गया है। अशोक कुमार प्रतीक्षा सूची में शामिल हैं।

पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank
...भरोसे का प्रतीक...the name you can BANK upon!
ARMB, रांची (पता: एस. एन. गंगुली रोड, राधेश्याम लेन, रांची, जिला - रांची, झारखंड - 834001 | फोन : 7300705205, ई-मेल: cs6794@pnb.bank.in

अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।
एतद्वारा सामान्य रूप से आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ताओं एवं जमानतदारों को सूचना दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों को सुरक्षित लेनदार को बंधक/प्रभारित किया गया है, जिसका रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक जो भी लागू हो जिसका कच्चा बैक के अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है। सम्बंधित उधारकर्ताओं एवं जमानतदारों से बैंक/सुरक्षित लेनदार होने के कारण अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे दिये गये तालिका में उल्लेखित तिथि पर "जहाँ है", "जैसा भी है" और "जो कुछ भी है" पर बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रयन जमा राशि सम्बंधित सम्पत्तियों के सामने नीचे दिये गये तालिका में उल्लिखित है।

सं. सं.	शाखा का नाम खाता का नाम उधारकर्ता/जमानतदारों के खाता का नाम एवं पता	बंधक/स्वामी के नाम के अचल सम्पत्तियों का विवरण (बंधकर्ता की सम्पत्ति (यों))	बिक्री तिथि	अंतिम बिक्री तिथि	
01	शाखा कार्यालय : मोहराबादी (038820) श्रीमती गणिता झा, पति - धानेश्वर झा एवं धानेश्वर झा, पिता - सुशील कुमार झा श्रीमती गणिता झा, पति - धानेश्वर झा एवं धानेश्वर झा, पिता - सुशील कुमार झा R/o - ज्योति एक्वेव, प्लॉट संख्या A-4, सुखदेवनगर, मेट्रोल बैंक ऑफ इंडिया के निकट, सुखदेव नगर, पोस्ट - हेहल, रांची - 834005	संपत्ति के सभी भाग जिसमें प्लॉट नंबर 102, प्रथम तल पर स्थित, कुल क्षेत्रफल 1258 वर्ग फुट, साथ ही भूमि का अनुपातिक अविभाज्य एवं अधिभक्त हिस्सा 1.44 डिसेमिल, जो कुल 5 कटा 08 छटाक भूमि में सम्मिलित है। यह तीन बेडरूम वाला प्लॉट है जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर कार पार्किंग संख्या 102 शामिल है, जो कमला एन्क्लेव, एलहाट में स्थित है। यह संपत्ति RS प्लॉट संख्या 662, खाता संख्या 57, नगरपालिका होल्डिंग संख्या 0020006150000A1, वार्ड संख्या 2, रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, रांची के अंतर्गत ग्राम - भीटा, एलहाट, थाना संख्या 187, थाना बरियातु, जिला रांची में स्थित है। यह संपत्ति श्रीमती गणिता झा (पति - धानेश्वर झा) एवं श्री धानेश्वर झा (पिता - सुशील कुमार झा) के नाम पर, विक्रय बिलेख संख्या 888/950 दिनांक 10.05.2019 के अनुसार दर्ज है। सीमाएँ : उत्तर : सीढ़ी, लॉबी एवं प्लॉट नं. 101, दक्षिण : साइड सेटबैक, पूर्व : बैंक सेटबैक, पश्चिम : फ्रंट सेटबैक	A) 20.08.2022 B) Rs. 40,47,637.56 + further interest C) 02.05.2026 D) भौतिक कच्चा	A) Rs. 33,82,020.00 B) Rs. 3,38,202.00 C) Rs. 1,00,000.00 D) PUN86794032 023	24.09.2026 11:00 AM to 04:00 PM

प्रतिभूति लेनदार को ज्ञात भार का विवरण - बैंक को ज्ञात नहीं
नियम एवं शर्तें
बिक्री सुरक्षा (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियमों एवं शर्तों के अधीन होकर और निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा।
01. सम्पत्तियों को "जहाँ है", "जैसा भी है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जा रहा है।
02. अनुसूचि में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसम्पत्तियों के विवरण को प्राथमिक अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है, लेकिन प्राथमिक अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलतबयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा।
03. बिक्री वेबसाइट <https://baanknet.com> पर ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 24.09.2026 को अपराह्न 11:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक की जाएगी।
04. उपरोक्त उल्लिखित बयाना राशि (EMD) को PSB Alliance Private Limited के E-Wallet में (<http://baanknet.com>) पोर्टल के माध्यम से सीधे जमा किया जाएगा अथवा उसी पोर्टल पर चालान (Challan) उपलब्ध कर, उसमें दिए गए चालान के विवरण के अनुसार RTGS/NEFT के माध्यम से EMD जमा किया जाएगा। यह राशि दिनांक 23.09.2026 को 16:00 बजे से पूर्व अनिवार्य रूप से जमा की जानी चाहिए।
05. बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया <https://baanknet.com> और www.pnb.bank.in पर देखें।
SARFAESI अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना
तिथि : 02.09.2026
स्थान : रांची
नोट : विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा।
प्राथमिक अधिकारी
पंजाब नैशनल बैंक, प्रतिभूति दाता

उपायुक्त का कार्यालय, हजारीबाग (विधि शाखा)

ज्ञापांक-2398 / विधि, हजारीबाग, दिनांक-03 / 09 / 2026

नोटिस बनाम—

संदेहात्मक जमाबंदी वाद से संबंधित

1. सभी संबंधित विपक्षीय। 2. सभी संबंधित अधिकारी।

बजारीयें इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि उपायुक्त के न्यायालय, हजारीबाग में लंबित संदेहात्मक जमाबंदी मामलों को अंतिम रूप से निस्तारित करने हेतु निर्देश प्राप्त है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में संदेहात्मक जमाबंदी से संबंधित मामलों की सुनवाई दिनांक 03.11.2026 को 03:00 बजे अपा0 उपायुक्त महोदय के न्यायालय कक्ष में तय की गई है जिसमें आपको स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से निश्चित रूप से उपस्थित होकर पक्ष रखने हेतु अंतिम अवसर दिया गया है। मामलों की सूची निम्नवत है:—

क्रमांक	संदेहात्मक जमाबंदी संख्या	प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष	मौजा	खाता	प्लॉट	रकबा	अंचल	निर्धारित तिथि
1	संदेहात्मक वाद सं०— 31/2020-21	State	इन्दर सोनार पिता-ज्ञानी सोनार	आंगो	38/29	—	2.44 ए0	धुरधू	03-11-2026
2	संदेहात्मक वाद सं०— 01/2016-17	State	मनारी साव पिता-धनु साव	खुल्ला	72	—	2.25 ए0	ईयाक	03-11-2026
3	संदेहात्मक वाद सं०— 07/2016-17	State	सालमोहम्मद खलिला पिता-रंगु खलिला	खुल्ला	72	—	14.00 ए0	ईयाक	03-11-2026
4	संदेहात्मक वाद सं०— 06/2016-17	State	दीनवा कानुन पिता-जयदाम कानुन	खुल्ला	72	—	4.28 ए0	ईयाक	03-11-2026
5	संदेहात्मक वाद सं०— 19/2018-19	State	इमन साव वर्गी पिता-अमृत साव	लक्ष्मुरा	100	—	8.00 ए0	बड़कमदाग	03-11-2026
6	संदेहात्मक वाद सं०— 12/2021-22	State	मधुरा राम पिता-केवल राम	कोरा	174/224	52	0.27.50 ए0	सदर	03-11-2026
7	संदेहात्मक वाद सं०— 18/2018-19	State	ईश्वर मिश्रा पिता-धनु मिश्रा	पराई	93	—	3.50 ए0	कटकमदाग	03-11-2026
8	संदेहात्मक वाद सं०— 16/2021-22	State	कुमन महतो पिता-टोटन महतो	पौता	70/07	—	2.44 ए0	सदर	03-11-2026
9	संदेहात्मक वाद सं०— 13/2021-22	State	सोदर बारला पिता-कुटुंबित बारला	पौता	70/130	—	06.90 ए0	सदर	03-11-2026
10	संदेहात्मक वाद सं०— 07/2019-20	State	पति महतो पिता-मुली महतो	चलंगा	50	02/0102	3.70 ए0	विष्णुगढ़	03-11-2026
11	संदेहात्मक वाद सं०— 08/2018-19	State	जोमन सेली पिता-मुनित सेली	चलंगा	50	02/0102	3.70 ए0	विष्णुगढ़	03-11-2026
12	संदेहात्मक वाद सं०— 09/2019-20	State	सीतावा तुरु पिता-लदन तुरु	चलंगा	50	02	1.91 ए0	विष्णुगढ़	03-11-2026
13	संदेहात्मक वाद सं०— 15/2014-15	State	हरलाल महतो वर्गी पिता-रंजु महतो	सिंदुर	59	1464	3.50 ए0	सदर	03-11-2026
14	संदेहात्मक वाद सं०— 02/2018-19	State	सातवारी महतो पिता-अमन महतो	बरकाकला	39/3	—	0.59 ए0	ईयाक	03-11-2026
15	संदेहात्मक वाद सं०— 05/2018-19	State	चरन महतो वर्गी पिता-धनु महतो	बरकाकला	39/8	—	6.00 ए0	ईयाक	03-11-2026
16	संदेहात्मक वाद सं०— 04/2018-19	State	टलन महतो वर्गी पिता-नमन महतो	बरकाकला	39/8	—	1.51 ए0	ईयाक	03-11-2026
17	संदेहात्म								